स०स०–2/ वि०वि०प०प०दा०–225/2024–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : डा० ब्रजेश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर का दिनांक–28.08.2023 से 15.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1538(2), दिनाक–18.11.2021 द्वारा डा० ब्रजेश कुमार को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवाडा, दरभंगा में नियुक्ति–सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन में डा० कुमार द्वारा दिनांक–15.02.2022 को योगदान कर अधिसूचना के कंडिका–15 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर) पूर्ण करने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहवाडा, दरभंगा के ज्ञापांक–172, दिनांक–15 02.2022 द्वारा दिनांक–15.02.2022 को अपराह्न में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के लिए विरमित हो गये। टेन्योर समाप्ति के उपरान्त डा० कुमार के द्वारा दिनांक 28.08.2023 को द्वितीय योगदान विभाग मे दिया गया तथा डा० कुमार दिनांक–28.08.2023 से 15.03 2024 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहें। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०–356(2), दिनांक–15.03 2024 के द्वारा डा० कुमार का पदस्थापन श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर मे किया गया। उक्त अधिसूचित सस्थान में डा० कुमार के द्वारा दिनांक–16.03.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया।

वर्णित स्थिति में डा० ब्रजेश कुमार के दिनांक–28.08.2023 से 15.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है:–

i.	दिनांक–28.08.2023 से 12.09.2023 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
ii.	दिनांक–13.09 2023 से 14.09 2023 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180)
iii.	दिनांक–15.09.2023 से 17.09.2023 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
iv.	दिनांक–18.09.2023 से 24.09.2023 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
v.	दिनांक–25.09.2023 से 12.10 2023 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
vi.	दिनांक–13.10.2023 से 15.10.2023 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
vii.	दिनांक–16.10.2023 से 10.01.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
viii.	दिनांक–11.01.2024 से 21.01.2024 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
ix.	दिनांक–22.01.2024 से 15.03.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2025>nıjı schika> fines me jane wala fil chamtha

ज्ञापांक–2/वि०चि०पदा०–225/2024– 1326(2) पटना, दिनांक 15/6/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा–3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/26

सरकार के उप सचिव।

D>Sec-2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha